(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीककगढ़/भू0रा0/2018/0020 विरूद्ध आदेश दिनांक 26-12-17 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण क्रमांक 892/अ-6-अ/2015-16.

1- राजेश कुमार तनय स्व0 लक्ष्मीप्रसाद ब्राहम्ण
2- भगवती बेवा स्व0 लक्ष्मीप्रसाद ब्राहम्ण
3- मीरा पुत्री स्व0 लक्ष्मीप्रसाद ब्राहम्ण
सभी निवासीगण ग्राम खरों तहसील लिधोरा
जिला टीकमगढ़ म0प्र0 ------ आवेदकगण

विरुद्ध

गुलाब तनय रामरतन तिवारी
निवासी ग्राम खरों तहसील लिधोरा
जिला टीकमगढ़ म0प्र0 ------ अनावेदक

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा एवं श्री के0के0 द्विवेदी ।

आदेश

(आज दिनांक 19/04/18 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 892/अ-6-अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26-12-17 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-44(2) के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों द्वारा विचारण

न्यायालय तहसीलदार पलेरा के समक्ष दिनांक 30-8-11 को एक आवेदन संहिता की धारा 115 एवं 116 के तहत प्रस्तुत कर नामांतरण पंजी क्रमांक 20 में पारित आदेश दिनांक 24-2-1992 के आधार पर नाम रिकार्ड में दुरस्त करने का अनुरोध किया गया । उक्त आवेदन के आधार पर तहसीलदार पलेरा द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक जोकि हितबद्ध पक्षकार है उसे पक्षकार बनाए बिना तथा सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश दिनांक 22-9-11 द्वारा संहिता की धारा 116 के तहत रिकार्ड सुधार करने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उन्होंनेआदेश दिनांक 25-7-16 द्वारा निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जिसमें अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अपर आयुक्त ने व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 8-11-17 पर ध्यान दिए बिनाआदेश पारितकिया है जो निरस्ती योग्य है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त ने आदेश पारित करते समय अनविभागीय अधिकारीद्वारा निकाले गये निष्कर्षों को अनदेखा कर आदेश पारित किया है क्योंकि 24-2-1992 का आदेश आज भी स्थिर है ।

यह तर्क दिया गया कि नामांतरण पंजी क्रमांक 20 पर पारित आदेश दिनांक 24-2-1992 द्वारा आवेदकों का नाम राजस्व निरीक्षक द्वारा वसीयतनामा के आधार पर दर्ज करने के आदेश दिए थे उसी के आधार पर आवेदक ने विचारण न्यायालय में रिकार्ड सुधार करने का आवेदन पेश किया था जिस पर से विचारण न्यायालय ने रिकार्ड सुधार करने का आदेश दिया गया उक्त आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने की है। अत: अपर आयुक्त को उक्त आदेशों को स्थिर रखना चाहिए था किंतु अपर आयुक्त ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना आलोच्य आदेश पारित किया है जो निरस्ती योग्य है। उक्त आधारों पर आवेदक के

विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि इस प्रकरण में 2 नामांतरण पंजी हैं एक में नामांतरण की कार्यवाही की है दूसरी में रिकार्ड दुरस्त की कार्यवाही की है । अनावेदक जो कि हितबद्ध पक्षकार है उसे तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है ना ही नोटिस दिया गया और ना ही जबाव का अवसर दिया गया । सारी कार्यवाही अनावेदक के पीठपीछे की गई है । यह भी कहा गया कि वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही पंजी पर नहीं की जा सकती । नियम 27 का पालन भी नहीं किया गया है । इस कारण अपर आयुक्त जो आदेश है वह उचित एवं न्यायिक है यदि किसी पक्षकार को कोई Grievance है तो वह सिविल न्यायालय जा सकता है ।

यह तर्क भी दिया गया कि आदेश में इश्तहार का प्रकाशन किए जाने का उल्लेख है जबकि कोई इश्तहार का प्रकाशन नहीं किया गया । जिनके हस्ताक्षर बताए गए हैं वे व्यक्ति हस्ताक्षर नहीं करते एक ही व्यक्ति ने सभी के हस्ताक्षर किये हैं । यह भी कहा गया कि सिविल न्यायालय के आदेश के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में अपील पेश की गई है जो लंबित है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदकगण द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 20 में पारित आदेश दिनांक 24-2-1992 के आधार पर रिकार्ड दुरस्ती हेतु आवेदन 19 वर्ष से अधिक समय उपरांत तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 115 एवं 116 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार, पलेरा द्वारा अनावेदक जिनका नाम प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज था उन्हें सुनवाई का एवं अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है जो पूर्णत: अवैधानिक आदेश है, जिसे स्थिर रखने में अनुविभागीय

अधिकारी ने अवैधानिक कार्यवाही की है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके आदेश से स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रकरण की समग्र विवेचना करने के उपरांत आदेश पारित किया गया है । उन्होंने यह पाया है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व अनावेदक को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है । जिन लोगों के नोटिस तामीली में अंगूठा निशानी बताए हैं वे सभी हस्ताक्षर करते हैं इसकी पुष्टि में उन्होंने शपथपत्र का हवाला दिया है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में संहिता की धारा 115 एवं 116 की जो विवेचना की है वह उचित है अपर आयुक्त ने अपने आदेश में जिन न्यायदृटांतों का हवाला देते हुए अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अपर आयुक्त ने पीड़ित पक्षों को स्वत्व के संबंध में सक्षम न्यायालय में कार्यवाही के निर्देश देने में भी कोई त्रुटि नहीं की गई है । अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व के संबंध में उभयपक्षों के मध्य व्यवहार वाद लंबित है और स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय का जो अंतिम निर्णय होगा वह पक्षकारों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों पर भी बंधनकारी होगा, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 26-12-17 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर